

प्रेषक,

संख्या-1558/एक-10-2022-33(79)/2015 टीसी

राम केवल,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
बाराबंकी, एटा, कानपुर देहात एवं मेरठ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2022

विषय:- जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-213/एक-11-2022-11(जी)/2017, दिनांक 11 मई, 2022 के कम में उक्त जनपदों के जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणों में तैनात आपदा विशेषज्ञों के माह फरवरी, 2023 तक का मानदेय, रू0 50,000/-प्रति माह के अनुसार दिये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-051 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत रू0 18,26,357/- (रुपये अठ्ठारह लाख छब्बीस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रमांक                                              | जनपद का नाम  | स्वीकृत धनराशि (रू0 में) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
|                                                      | 2            | 3                        |
| 1                                                    | बाराबंकी     | 4,61,290.00              |
| 2                                                    | एटा          | 4,83,394.00              |
| 3                                                    | कानपुर देहात | 4,65,003.00              |
| 4                                                    | मेरठ         | 4,16,670.00              |
|                                                      | योग          | 18,26,357.00             |
| (रुपये अठ्ठारह लाख छब्बीस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) |              |                          |

### नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम-209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।
- (4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-4; भाई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अन्तर्गलन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 18,26,357/- (रुपये अट्ठारह लाख छब्बीस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखाशीर्षक 2245808000700 जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक-29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)  
विशेष सचिव।

संख्या-1558 (1)/एक-10-2022-33(79)/15 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

*mnoje*  
(मनोज कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2022-2023  
आवंटन दिनांक-18/08/2022

प्रेषण संख्या:- 1558  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1558  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
80 - सामान्य  
800 - अन्य व्यय  
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

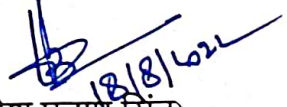
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                  |                 | 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | योग                |
|-------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1     | मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--         | वर्तमान प्रगामी | 416670<br>516670                      | 416670<br>516670   |
| 2     | एटा-4217-जिलाधिकारी, --01--          | वर्तमान प्रगामी | 483394<br>686394                      | 483394<br>686394   |
| 3     | बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान प्रगामी | 461290<br>561290                      | 461290<br>561290   |
| 4     | कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 465003<br>623003                      | 465003<br>623003   |
|       | योग                                  | वर्तमान प्रगामी | 1826357<br>2387357                    | 1826357<br>2387357 |

महायोग- (वर्तमान  
आवंटन):-

रूपया अठारह लाख छब्बीस हजार तीन सौ सत्तावन

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेइस लाख सत्तासी हजार तीन सौ सत्तावन

  
(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उ० प्र० शासन।